

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/1968

दिनांक: 16.12.2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ अबू सकिया
 पुत्र/पुत्री/पति श्री इमरिया गंगू बिहारीनगर
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

उद्दे विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: "अख्तर शकिनी छमात्र और शायरी"शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० जेबा महमूद, गनपत सहाय पी. जी. काले, ए.शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: संदर्भअन्य टिप्पणी: x

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० जेबा महमूद, गनपत सहाय पी. जी. काले, ए.
सुल्तानपुर को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2020 / 1967

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / इस्कान अहमद
 पुत्र / पुत्री / पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

उद्दे विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्पादित शोध शीर्षक: इस्कान सिद्दीकी शास्त्रियत फिक्क - ओ - कुन

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० जेब मरहूमद, गनपत राहय पी.जी. कालेज, बु

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: संदर्भित

अन्य टिप्पणी: X

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अम्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करावें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० जेब मरहूमद, गनपत राहय पी.जी. कालेज, बु
कुलपति को सूचनार्थ।

कुलपति

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/1966

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ प्रताप कुमार
 पुत्र/पुत्री/पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

उद्दे विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: "स्वाध्याय द्वारा किरण गोदस्वपुरी की व्यापक और शायरी"

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० Xशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: संशोधन के साथ अगली कदमअन्य टिप्पणी: X

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में विद्वानांकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० X

को सूचनार्थ।

असि
उपकुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2020 / 1965

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / आरजू अब्बास
 पुत्र / पुत्री / पति श्री
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

उद्दे विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्पादित शोध शीर्षक: "स्वातंत्र्यवाद के इतिहास के प्रारम्भिक शोध"

शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० X

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: संशोधन के साथ आगामी के

अन्य टिप्पणी: X

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या X का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगमन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी / शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० X को सूचनार्थ।

api
(अधिकारी)



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/1960

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ सरोज सिंह
 पुत्र/पुत्री/पति श्री श्री राज कृष्ण सिंह
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

इतिहास, संस्कृति एवं भूतत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: असाराण में वर्णित राजनीतिक व्यवस्था एवं नैतिक
आदर्श (एक इतिहासिक अध्ययन)

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० राजेश प्रताप सिंह, आतासीय पीरसर

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करावें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या ₹ 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० राजेश प्रताप सिंह, डॉ० रा० को० अवध वि० वि०,
अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/1959

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ अभिषेक मिश्रा
 पुत्र/पुत्री/पति श्री अरवि मिश्रा
 पता 7/9/25A, रामकुंज खीर गली, फतेहगंज
अयोध्या

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक:

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० राजेश सिंह, आतासीरा परिसरशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवाधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० राजेश सिंह, डॉ० रा० ले० अवध वि० वि०, अयोध्या।

को सूचनाार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शै० / 2020 / 1958

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / दिलीप कुमार सिंह
 पुत्र / पुत्री / पति श्री दुर्गा प्रसाद सिंह
 पता ग्राम पौ. सुखीपुर, अजमेर

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

डिप्लोमा संस्कृति एवं परातत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: लौह, धातु के अष्टसहस्रान का महत्व: एक ऐतिहासिक अध्ययन

शोध निर्देशक: डॉ० / शालेश सिंह, आतासीय परिसर

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नंकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / शालेश सिंह, डा० रा० लो० अवध वि० वि०, अयोध्या
 को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



दूरभाष नं०-05278-245957

05278-246223

ई-मेल- rmlauregistrar@gmail.com

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2020 / 1957

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कृ० / श्री / श्रीमती / राजवीर
 पुत्र / पुत्री / पति श्री किशोर
 पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

इतिहास, संस्कृति एवं आतत्त्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: उत्तर प्रदेश में विज्ञान आन्दोलन का इतिहास
(पश्चिमी उत्तर प्रदेश के १-८ में)

शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० दिताकर त्रिपाठी, आवासीय परिसरशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रु० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगमन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी / शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रु० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० दिताकर त्रिपाठी, डॉ० श० लो० अवध वि० वि०,
अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2020 / 1956

दिनांक: 16.12.2020

सेवा में,

कु० / श्री / श्रीमती / सुदीप मिश्रा
 पुत्र / पुत्री / पति श्री तेरुन्ड प्रसाद मिश्रा
 पता रासकोट, कनक भवन,
अरोहरा

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: अरोहरा के स्थानीय मंदिरों का इतिहास: एक अध्ययनशोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० दिवाकर त्रिपाठी, (आतासीय परिसर)शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) / विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयवधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी / शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ० / प्रो० दिवाकर त्रिपाठी, डॉ० रा० लो० सुब्बा वि० वि०,
अरोहरा को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/1955

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/ अतिञ्जा कुमार शाह
 पुत्र/पुत्री/पति श्री नारद शाह
 पता श्री० हिला नौरंग राय
प० कपरा इपरा, लालिया

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक:

शोध निर्देशक: डॉ०/श्री० संजय चौधरी, आवासीय परिसरशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नंकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/श्री० संजय चौधरी, आवासीय परिसर

को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव



दूरभाष नं०-05278-245957

05278-246223

ई-मेल- rmlauregistrar@gmail.com

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/1962

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

क्र०/श्री/श्रीमती/ सुरेन्द्र प्रताप यादव
 पुत्र/पुत्री/पति श्री राम प्रताप यादव
 पता रा. ३३३ रा. गद्दीपुर
अयोध्या

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

डिप्लोमा, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक:

शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० अजय प्रताप सिंह, आतासीय परिसरशोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्रो० अजय प्रताप सिंह, डा. रा. लो. क्वार्टर वि. वि.,
अयोध्या को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2020/1961

दिनांक: 16/12/2020

सेवा में,

कृ०/श्री/श्रीमती/ विजय कुमार
 पुत्र/पुत्री/पति श्री शशदेव
 पता रा० व पी० तारुन (धादतपुर)
अयोध्या

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्मावित शोध शीर्षक: लौह धर्म के स्थलों का उत्खनन पतन एवं विश्व को देन।

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० संजय चौधरी, आवासीय परिसर

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करावें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगणन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० संजय चौधरी, डॉ० रा० लो० अवध वि० वि०, अयोध्या
 को सूचनाार्थ।

उप-कुलसचिव